Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.4, Issue-IV, April 2019
Impact Factor: 4.032 (IIJIF)
e-ISJN: A4372-3118

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण

बृजेश कुमार अहिरवार
पीएच.डी. शोधार्थी (राज.वि.)
देवी अ.वि.वि. इन्दौर (म.प्र.)

सारांश

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) ने जनसहभागिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं को आवश्यक अधिकारों का हस्तांरण करके लोकतंत्र को समृद्ध करने का काम किया है। यह विकास का एकीकरण विभिन्न नीतियों के निर्माण, निर्णय क्षमता, फैसला करने व नेतृत्व को बढ़ाने में महिला की भूमिका को सहभागी बनाने में आवश्यक माना गया हैं। प्राचीन काल के पंचायती राज ने ग्रामीण समुदाय की आधी आबादी (महिलाओं) को स्थानीय स्वशासन में शक्तिहीन कर दिया था। परंतु जब राजनीतिक जागृति आई तो महिला में चेतना विकसित हुई जिसके कारण आज वे स्वतंत्र रूप से पंचायती राज में 50 फीसदी हक लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहीं है।

शब्द कुंजी (Key Words): स्वायत्तशासी, विकेद्रीयकरण, शासन, वंचित वर्ग, संस्थाएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जनसहभागिता।

प्रस्तावना

पंचायत देश की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। वैसे तो यह लोगों को स्थानीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की और अग्रसर है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज लोगों को निरंतर शामिल करके सहयोगी के तौर पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जिसमें आज महिलाएं भी 50 फीसदी चुनकर आ रहीं है। जो अपनी बराबरी की हिस्सेदारी वर्तमान की स्थानीय सरकार में निभा रही है। आज महिलाओं ने भी अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की और कदम बढ़ाया है। अब लोग पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि वे उनकी कमियों को उजागर करके आलोचना भी करने लगे हैं।

किसी भी देश की प्रगति को सामूहिक रूप से देखा जाये तो उस देश की स्थानीय स्तर पर प्रचलित संस्थाओं का अवलोकन करना होगा। इन्हीं संस्थाओं में जनता को ज्यादा से ज्यादा भागीदार करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यदि ये संस्थाएं परिस्थितियों के अनुकूल उचित रूप से संचालित हों तो प्रगति तीव्रतर हो सकती है। आज लोकतंत्र में निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन में पुरूष व महिला बराबर की भूमिका में हैं। इस पर विशेष रूप से यह निर्भर करता है कि समकालीन पंचायतों के क्रियान्वयन में कितनी पारदर्शिता है। जहां तक आज गांव से लेकर जिला स्तर तक पंचायती राज की प्रक्रिया में यदि कुछ नया हुआ है तो यह है कि इसमें महिलाओं को शामिल करके एक नया अध्याय खोला गया है।

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) का इतिहास

स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को विकसित होने में लम्बा समय बीता है। इसका उदय अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर हुआ है। इसके विकास में ऐतिहासिक विचारात्मक और प्रशासनिक तत्वों ने विशेष योग दिया है। मनुष्य ने जब से छोटे–छोटे समुदायों में संगठित होकर रहना शुरू किया, तब से यह किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ निरंतर ग्राम जीवन, ग्राम शासन, न्याय एवं नगरीय शासन के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।[1]

स्थानीय शासन की भूमिका में 'पंचायत' ने सामाजिक नियंत्रण बनाये रखा है।[2] इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायत' से हुई है। जिसका अर्थ है पांच व्यक्तियों का समूह।[3] जब लोग किसी स्थान पर ग्रामीण समुदाय बनाकर जीवन यापन करने लगे होंगे तो समस्याएं भी उत्पन्न हुई होगीं जैसे अपराध, कृषि, पानी की व्यवस्था, आवासीय जमीन तथा व्यापार आदि का नियमन करने के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता महसूस हुई होगी।[4] स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोगों का अपना शासन यानि खुद के लिए खुद के द्वारा चुनी जाने वाली शासन व्यवस्था जो खुद के द्वारा संचालित भी होती हो, जिसमें व्यक्ति एक समूह के रूप में अपने सामूहिक हित के मुद्दों पर विचार कर सकें, निर्णय लें और उसे लागू करें।

भारत में स्थानीय शासन की संस्थाएं, पंचायतें जिन्हें ग्रामीण सरकारे कहा जाता था, प्राचीन काल से चलीं आ रही हैं।[5] वैदिक काल में सभा व समितियों का उल्लेख है जो गांव में लोगों की भलाई के कार्य करती थी।[6] ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ शब्द ग्रामीणी ही पंच है। रामायण काल में भी गणराज्य एवं संघो का जिक्र मिलता है। इस काल में पंचायतें ग्रामीण जीवन को संरक्षण का कार्य करती थीं। महाभारत काल में भी सभापर्व का जिक्र किया गया है।[7] ''कौटिल्य ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो 321 और 300 ई. पू. के बीच लिखा''।[8] इस ग्रंथ में ग्रामीण स्तर पर जनता के लिए उनके वासस्थान के निकट न्याय के लिए संग्रहण न्यायालय की स्थापना करता है।[9] मनुस्मृति के अनुसार भी गांव के अधिकारी को 'ग्रामिक' कहते थे। जो कर आदि की वसूली करता था।[10] चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रावृत्तांत में ग्राम जीवन का जिक्र करते हुए पंचायत की बात कही है।[11] मुगलकाल पर भी नजर डालें तो उस काल में भी स्थानीय शासन विद्यमान था। नगर का प्रशासन एक अधिकारी कोतवाल को सुपूर्द किया गया था।[12]

अगर हम अतीत पर नजर डालें तो स्थानीय स्तर पर शासन का स्वरूप किसी न किसी अवस्था में विद्यमान रहा है। परंतु इस काल में इस व्यवस्था में पंचायतों का स्वरूप लोकतांत्रिक नही था। स्थानीय स्तर के शासक, प्रशासक, अधिकारी का चुनाव नहीं होता था अर्थात ग्रामीण जनता को इसमें भागीदारी करने का अवसर नहीं दिया जाता था। फिर भी स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं ऐंसी होती है जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही बेहतर ढंग से सुलझाईं जा सकती है। यही कारण रहा कि स्थानीय मामलों ने ही इन संस्थाओं को जीवित रखा।

ब्रिटिश काल में पंचायती राज का विकास

यद्यपि भारत में पंचायती राज स्थानीय शासन जमीनी स्तर पर परंपरागत रूप से विद्यमान था। किन्तु इसकी कार्यप्रणाली का प्रादुर्भाव ब्रिटिश काल में हुआ है। हालांकि अंग्रेजों का रवैया भारतीयों को शक्ति व उत्तरदायित्व देने के पक्ष में नहीं था। वे भारतीयों को प्रशासन चलाने के योग्य नहीं समझते थे। परन्तु कुछ समय

के उपरांत ही ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं को हल करने के लिए 28 सितम्बर 1687 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास कौंसिल गठित करके जन सुविधा देने की शुरूआत की। 1726 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में नगरपालिका का गठन तथा एक मेयर व सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत तीनों जगह फिर से नगरपालिका गठित की गई। हालांकि 1842 में पहला नगरपालिका अधिनियम बंगाल में पारित किया गया लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ तो इसे समाप्त कर 1850 में दूसरा अधिनियम बनाया गया।[13]

ब्रिटिश सरकार के द्वारा अभी तक जो प्रयास किये गये थे वह स्थानीय शासन व्यवस्था (नगरीय) तक सीमित थे। गांवो की शासन व्यवस्था के बारे में ध्यान नहीं दिया गया था। प्रशासन का निम्नतम स्तर गांव के लोगों से जुड़ता है। विकास की पूरी प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ग्रामीण समस्याओं को हल न किया जाये। ब्रिटिश सरकार के समय गांवों में समस्याओं का अम्बार लगा था। साफ–सफाई, पेयजल, कृषि तथा न्याय व्यवस्था जैसी समस्यायें विद्यमान थी। इनको स्थानीय स्तर पर ही बेहतर तरीके से हल किया जा सकता था।

सन् 1863 में गांवों के विकास के लिए शाही स्वच्छता आयोग की नियुक्ति की, जिसने अपनी रिपोर्ट में गांवों की साफ–सफाई करने की बात कही। चूंकि लार्ड रिपन के द्वारा 18 मई 1882 को स्वायत्तशासी संस्थाओं को ठोस एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। परंतु इसको धरातल पर लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद यह सिलसिला रूका नहीं लगातार चलता रहा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में पंचायतों को प्रांतीय सरकारों को सौंपने पर जोर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में शामिल कर दिया गया।[14]

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) के कार्यों को लेकर उठा–पटक जरूर होती रही लेकिन इस लम्बे समय के शासन काल में 1687–1935 तक लगभग 250 वर्षों में अंग्रेजों के कार्यकाल ने स्थानीय समस्याओं को समझने में बहुत लम्बा समय लगा दिया। फिर भी उनके कार्यकाल में स्थानीय शासन व्यवस्था के क्षेत्र में किए गये यदा–कदा कार्यो को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक गांव के शासन में व्यवहारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। और न ही प्रत्यक्ष तरीके से गांव के लोग मुखिया का चुनाव करते थे। आमतौर पर देखा गया कि इसमें महिला व वंचित वर्गों को भागीदार नहीं बनाया जाता था। गांव की शासन व्यवस्था स्वायत्तशासी संस्थाओं पर उच्च वर्गों का ही वर्चस्व था। यह मनोवैज्ञानिक धारणा है कि जब तक विकास के कार्यों में आम आदमी की खुलकर भागीदारी नहीं होती तब तक वह एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकता।

आजादी के बाद पंचायती राज

देश को जैसे ही आजादी मिली सरकार का गठन हुआ उसके तत्काल बाद ही पंचायतों को संविधान का अंग बनाया गया तथा उन्हें स्थापित करने के लिए राज्यों को अधिकार सौंप दिए गये। लेकिन जमीनी स्तर पर यह स्वशासन की स्वायत्त संस्थाएं नहीं बन सकी। अर्थात् विकेन्द्रीयकरण शासन व्यवस्था में खास अंतर नहीं आया परंतु इनको मजबूत करने के लिए सरकार ने समय–समय पर विभिन्न समितियों के माध्यम से पहल की।

देश में जब राजनीतिक जाग्रति बढ़ी तो लोगों का ध्यान गांवो की तरफ हुआ। कि गांवों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। इसी आकांक्षा के साथ भारत सरकार ने अक्टूबर

1952 में योजना आयोग के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार किया। इसमें विकास कार्य की प्रेरक शक्ति प्रत्येक परिवार के हित के लिए सहकारिता के आधार पर ग्राम्य जीवन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 02 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा नामक एक दूसरी कम विस्तृत योजना आरंभ की गई।[15] इन दोनों योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसी कमियां रह गईं, कि ग्रामीण समाज सरकार के द्वारा थोपे गये कार्य कब तक ढोता रहेगा। वह अपने गांव के कार्य पारस्परिक सहयोग से करना चाहता है। इन योजनाओं में सम्पूर्ण कार्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गये कर्मचारी, ग्राम सहायक, खण्ड विकास अधिकारी बी.डी.ओ. आदि के द्वारा ही समस्त कार्य संचालित किए जाते थे।

बलवंत राय मेहता समिति

पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम स्तर पर सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विकास समिति ने विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए 1956 में मेहता समिति का गठन किया।[16] जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सरकार के सम्मुख रखी।[17] जिसमें विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज ग्राम, जनपद तथा जिला स्तर पर गठन करने की बात की।

अशोक मेहता समिति

12 दिसम्बर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में अगली पंचायती राज समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सरकार को सौंपी।[18] समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज गठित करने की बात रखी।

जिला स्तर पर – जिला परिषद

ब्लाक स्तर पर – मंडल पंचायत

जी.के.वी. राव समिति

योजना आयोग द्वारा 25 मार्च 1985 को ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राव समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1985 में प्रस्तुत की। समिति ने यह कहा कि राज्य सरकारें पंचायती राज के प्रति उदासीन हैं। योजना लागू करने, निर्णय लेने व लागू करने का अधिकार पंचायतों को सौंपा जाये।[19]

एल.एम.सिंघवी समिति

राव समिति के बाद 27 नवंबर 1986 को पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। समिति ने राजनीतिज्ञों व नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करते हुए पंचायतों से संबंधित विधेयक तैयार करने की बात कही।

पी.के.थुंगन समिति

समितियों के क्रम में पी.के.थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की उपसमिति ने पंचायती राज को सशक्त व संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिस की। इसके बाद 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। लेकिन यह लोकसभा के उपरांत राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।

देश में स्वतंत्रता से लेकर 90 के दशक तक पंचायती राज में विभिन्न समितियों के माध्यम से उठा–पटक व फेरबदल होता रहा। लेकिन अभी तक ग्रामीण लोगों की शासन व्यवस्था को जनसहभागिता व पारदर्शिता पूर्ण नहीं बनाया गया था। खास तौर से स्थानीय स्वशासन में समाज के वंचित वर्गों व महिलाओं को इस शासन व्यवस्था में आगे बढ़ाने के कोई निश्चित नियम नहीं बनाये गये। हालांकि विकेन्द्रीयकरण शासन व्यवस्था ने पंचायती राज के प्रति शासन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों में जागृति आने की प्रक्रिया अवश्य हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को नया स्वरूप दिया।

73वां संविधान संशोधन एवं महिला नेतृत्व

पंचायती राज संस्थाओं में एक नया अध्याय खुला 73वें संविधान संशोधन से। स्थानीय स्वशासन तथा विकेन्द्रीयकरण शासन व्यवस्था ने जनता की उम्मीदों पर विकास कार्यक्रमों के तहत नई जिम्मेदारी सौंपी। यह संशोधन कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्रीस्तरीय समिति की सिफारिस के आधार पर 16 सितम्बर 1991 को 73वां संशोधन पेश किया। जो 22 दिसम्बर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया एवं 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद स्वीकृति दी गई। इस अधिनियम को (73वां संविधान संशोधन 1992) के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रावधान किया गया कि इसके अस्तित्व में आने के बाद 01 वर्ष के अंदर राज्य अपने पंचायती राज्य अधिनियम में संशोधन करेंगे। 24 अप्रैल 1994 को सभी राज्यों ने इस संशोधन को धरातल पर लागू कर दिया।[20]

अधिनियम को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है।[21] इस अधिनियम में एक नया अध्याय 9 जोड़ा है जिसका शीर्षक ''पंचायतें'' है तथा 11 वीं अनुसूची के तहत 29 विषय शामिल किये गए। अनुच्छेद 243 तथा 243(क) से 243(ण) के अनुच्छेद शामिल है।[22] अनुच्छेद 243(क) के तहत प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। एवं जहां पर इनकी कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत् से कम है वहां 25 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्गों का आरक्षित रहते है। तथा इन आरक्षित सीटों में एक तिहाई स्थान महिलाओं को आरक्षित रहते है। कुल स्थानों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं को सूरक्षित रहते हैं। तीनों स्तरों के सीटें चक्रानुक्रम के आधार पर तय होती हैं।[23]

यह अधिनियम पंचायती राज में महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने में वरदान सिद्ध हुआ। उनको स्थानीय स्तर पर शासन में भागीदारी मिली जो एक मिशाल के तौर पर आज कायम हो गई है। जिसने ग्रामीण नेतृत्व को उभारने का कार्य किया है। महात्मा गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी उसका मूल आधार था कि ग्राम स्वराज के जरिए कई समस्याओं का निस्तारण अपने आप हो जायेगा जब लोगों को उनके बीच से ही नेतृत्व प्रदान किया जाये। और यह नेतृत्व की लड़ाई पंचायती राज के इर्द–गिर्द घूमती रही। शुरूआत में तो पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में महिला नेतृत्व को कमजोर आंका गया लेकिन धीरे–धीरे लोगों की सोच में बदलाव आया जो प्रत्यक्ष प्रमाण स्थानीय नेतृत्व में निरंतर बढ़ती हुई महिलाओं के संख्या से आंका जा सकता है। सन् 2000 के पंचायती राज चुनावों में तीनों स्तरों पर महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या पूरे देश में 815177 आंकी गई इसके बाद 2004 के चुनावों में 890623 हो गई जिसमें 75446 की बढ़ोत्तरी हुई इससे पता चलता है। कि स्थानीय नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी होने से उनमें निरंतर जाग्रति आ रही है।[24]

इसी तारतम्य में महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 28/08/2009 को कैबिनेट की बैठक में 50 फीसदी आरक्षण की सहमति दे दी। हालांकि कुछ राज्यों ने यह पहले से ही लागू कर दिया था। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बिहार में इसकी घोषणा की जा चुकी थी। बिहार पहला राज्य था जिसने 2005 में महिलाओं को पंचायत में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया।[25]

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) निचले स्तर पर काम करता है यह जमीन से जुड़ा हुआ है जो आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़ा रहता है। यह शासन आम जनमानस के संपर्क में तब आया जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अमल में लाया गया। इसी का परिणाम है कि आज 02 लाख 55 हजार पंचायतों में 31 लाख प्रतिनिधि चुनकर आये हैं। जिसमें लगभग 14.39 लाख महिलाऐं निर्वाचित हैं। जो कि 46 प्रतिशत है।[26] वर्ष 1993 (73वें संविधान संशोधन) के बाद इस समय देश भर में लगभग 248620 ग्राम पंचायतें, 6425 ब्लाक पंचायतें तथा 601 जिला पंचायतें काम कर रही हैं। जिसमें तीनों स्तरों पर चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 30 लाख है। जिसमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं है तथा 10 लाख SC, ST, OBC से प्रतिनिधि चुने जाते हैं।[27] जार्ज मैथ्यू के अनुसार 2015 में 1341773 महिलाएं स्थानीय सरकार के लिए चुनी गईं।[28] यह कहना अतिशोयक्ति नहीं होगी 73वें संशोधन से ही महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। जो लगातार स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) में लोकतांत्रिक सहभागिता के दायरे को निरंतर बढ़ाने में कामयाब हुआ हैं। महिलाएं रीति–रिवाज, परंपराएं तथा पुरूषवादी मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी भूमिका निभा रही हैं। फिर भी आज समाज में महिला को कमजोर आंका जाता है। यह पुरूषवादी मानसिकता के कारण है। हमें अपनी पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलना होगा। महिला को वही दर्जा देना होगा जो पुरूष को दिया जाता है। तभी यह लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर मजबूत होगा।

निष्कर्ष

इसमें कहीं से कहीं तक दो मत नहीं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर इजाफा हुआ है। आज महिला गांव से निकलकर जिला स्तर तक के पदों पर पहुँचकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहीं है। जहां एक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर अवलोकन करें तो जितनी भी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्थाएं थीं। उन सब में पुरूषों का ही दबदबा था। महिला को कोई राजनैतिक अधिकार नहीं थे। वर्षों से लंबित ग्रामीण समुदाय तथा विशेष रूप से उसमें महिला को अपना हक 73वां संविधान संशोधन, 1993 से प्राप्त हुआ। आज महिला स्थानीय स्तर की शासन प्रक्रिया पंचायती राज में खुलकर भाग लेती है। जिससे सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने में सशक्ता आ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. मिश्र यतीश (2015), ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, (Rural Local Administration), लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, संपादन–सुषमा यादव, बलवन गौतम, प्रकाशक– ओरियंट ब्लेकस्वान प्राइवेट लिमिटेड 1/24 आसफ अली रोड़ नई दिल्ली–110002, पृ.क्र.446।
2. वही पृ.क्र.446।
3. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, ISBN978-81-237-4293-9, www.nbtindia.gov.in पृ.क्र.031।
4. माहेश्वरी एस.आर. (1999), भारत में स्थानीय शासन, प्रकाशक : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पुस्तक प्रकाशक, हॉस्पीटल रोड़ आगरा–3, पृ.क्र.04।

5. वही पृ.क्र. 10।
6. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, ISBN978-81-237-4293-9, www.nbtindia.gov.in पृ.क्र. 03।
7. यादव शंभूनाथ (2010), निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका, कुरूक्षेत्र अक्ट. 2010, प्रकाशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011, पृ.क्र.04।
8. द्विवेदी जवाहर लाल (1999), भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्रकाशन : हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.क्र.17।
9. झा बृजकिशोर (1990), प्रमुख राजनीतिक चिंतक, प्रकाशक : बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रेमचन्द मार्ग, राजेन्द्र नगर पटना–800016, पृ.क्र.415।
10. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, ISBN978-81-237-4293-9, www.nbtindia.gov.in पृ.क्र.04।
11. यादव शंभूनाथ (2010), निरंतर विकास और पंचायत की भूमिका, कुरूक्षेत्र अक्टू. 2010 प्रकाशक : ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011, पृ.क्र. 04।
12. माहेश्वरी एस.आर., (1999), भारत में स्थानीय शाासन, प्रकाशक 5 लक्ष्मीरायाण अग्रवाल, पुस्तक प्रकाशक, हॉस्पीटल रोड़ आगरा–3, पृ.क्र. 11।
13. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, ISBN978-81-237-4293-9, www.nbtindia.gov.in पृ.क्र. 6,7।
14. वही पृ.क्र. 7, 8, 9, 10।
15. जैन पी.सी. (1966), भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश लखनऊ (1966), मेहरा आफसेट प्रेस आगरा, पृ.क्र. 28, 29।
16. वही पृ.क्र. 41।
17. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–II वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, ISBN978-81-237-4293-9, www.nbtindia.gov.in पृ.क्र. 14।
18. वही पृ.क्र. 16।
19. वही पृ.क्र. 20।
20. वही पृ.क्र. 24, 132।
21. बंसल वंदना (2004), पंचायती राज में महिला भागीदारी, मब्याज पब्लिकेशन सी–30, सरस्वती नगर, दिल्ली–110052, ISBN: 81-7835-347-4, पृ.क्र. 27।
22. वही, पृ.क्र. 72।
23. सक्सेना आलोक (2015), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, नियमों, उपविधियों, अधिसूचनाों एवं न्याय दृष्टांतो सहित, इडिया पब्लिशिंग हाऊस, इन्दौर 70–71, एम.जी. रोड़ (रामपुरवाला बिल्डिंग) इन्दौर–452007।
24. फारूकी उमर (2010), महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2010, प्रकाशक : ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011, पृ.क्र. 34,35।
25. Dr. Sachchinand Ke Lekh snsamajblogpot.com, Friday 04 Oct. 2013.
26. महीपाल (2018), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कुरूक्षेत्र जुलाई 2018, प्रकाशकः ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110003, पृ.क्र. 23।
27. राय मनोज (2018), पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण, कुरूक्षेत्र जुलाई 2018, प्रकाशकः ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110003, पृ.क्र. 15।
28. मैथ्यू जार्ज (2018), पंचायती राज उपलब्धियां और चुनौतियां, कुरूक्षेत्र जुलाई 2018, प्रकाशकः ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110003, पृ.क्र. 06।

****